मुख्यमंत्री ने बी.एस.एफ. की कोडेवाला सीमा चौकी का दौरा किया

बी.एस.एफ. कर्मी हमारी सीमा पर तस्करी, घुसपैठ जैसे अपराधों को मुस्तैदी से नाकाम कर रहे हैं-भजनलाल

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने बी.एस.एफ. जवानों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बी.एस.एफ. ने मरूभूमि में साढ़े छह लाख पौधे लगा कर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र में सराहनीय योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवानों एवं अधिकारियों से भी मुलाकात कर उन्हें स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए फल वितरित किए । इस अवसर पर महिला प्रहरियों ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधे।

बीकानेर, 14 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे जवान अपने अदम्य शौर्य, साहस और बल से बर्फीली वादियों-तपते मरुस्थल सहित, देश के हर कोने में दिन-रात मुस्तैदी से सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीएसएफ अनुशासित व देश सेवा को समर्पित दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। वे हमारी सीमा पर तस्करी, घुसपैठ जैसे अपराधों को भी मुस्तैदी के साथ नाकाम कर रहे हैं।

शर्मा 79वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व बीकानेर में खाजूवाला के कोडेवाला आउट पोस्ट (सीमा चौकी) पर बीएसएफ के जवानों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बीएसएफ जवानों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीएसएफ के जाबांजों के बीच आकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता व गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा, बीएसएफ ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय अद्भुत कार्य किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने के लिए जवानों को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने हाल ही में मरुभूमि में साढ़े छह लाख पौधे लगाकर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने में अपना सराहनीय योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री ने कोडेवाला पोस्ट का दौरा किया एवं दूरबीन से सीमा का अवलोकन किया तथा पोस्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम तथा रक्षा उपकरणों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने जवानों एवं अधिकारियों से भी मुलाकात की और स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए फल वितरित किए। मुख्यमंत्री को महिला प्रहरियों ने रक्षा सूत्र भी बांधे।

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र को नोटिस

नयी दिल्ली, 14 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को केंन्द्र सरकार से जबाव तलब किया।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केन्द्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे इस मामले में जहूर अहमद भट और इरफान हाफिज लोन द्वारा दायर याचिकाओं पर आठ हफ्ते के भीतर अपना रुख स्पष्ट करें।

127 जवानों को वीरता पुरस्कार

■ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह घोषणा की, वायु सेना के 9 पायलटों को वीर चक्र मिला है।

नयी दिल्ली 14 अगस्त । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को सशस्त्र बलों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 127 रणबांकुरों को बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार और 40 को उल्लेखनीय सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पुरस्कार देने की घोषणा की है।

वीरता पुरस्कारों में चार को कीर्ति चक्र, 15 को वीर चक्र और 16 को शौर्य चक्र से सम्मानित करने की मंजूरी दी गयी। वीर चक्र पाने वाले रणबांकुरों में वायु सेना के वे नौ जांबाज पायलट भी शामिल हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु सेना के महानिदेशक संचालन एयर मार्शल अवधेश भारती और वायु सेना के उप प्रमुख नर्मदेश्वर तिवारी सहित तीनों सेनाओं के सात वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोतम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति ने इसके अलावा दो बार टू सेना पदक (वीरता), 58 सेना पदक (वीरता), छह नौसेना पदक (वीरता) , 26 वायु सेना पदक (वीरता), सात सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, नौ उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 युद्ध सेवा पदकों की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने 290 मेंशन-इन-डिस्पैच को भी मंजूरी दी है, जिनमें सेना को 115, नौसेना को पांच, वायु सेना को 167 और सीमा सड़क विकास बोर्ड (बीआरडीबी) को तीन पुरस्कार देने को मंजूरी दी गयी।

स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

■ स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर बहस हुई। तीन सदस्यीय बैंच ने कहा एक तरफ मानवीय पीड़ा है दूसरी तरफ पशु प्रेमी हैं।

नयी दिल्ली, 14 अगस्त। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों को पकड़ कर आश्रय गृहों में भेजने संबंधी शीर्ष अदालत के 11 अगस्त के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर गुरुवार को यहां फिर जमकर बहस हुई और संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन सदस्यीय पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने दो सदस्यीय पीठ के 11 अगस्त के आदेश के मद्देनजर स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले में बुधवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक नयी पीठ गठित की थी।

न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने आज सुनवाई की और दो सदस्यीय पीठ के आदेश की वैधता पर सवाल उठाने वाले सभी हस्तक्षेपकर्ताओं से हलफनामा दाखिल करने को कहा। तीन सदस्यीय पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक तरफ मानवीय पीड़ा है और दूसरी तरफ पशु प्रेमी हैं।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगी वाराणसी की वोटर लिस्ट

■ कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2024 में वाराणसी चुनाव धांधली करके जीते हैं।

नयी दिल्ली, 14 अगस्त। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए कथित वोट चोरी आरोप के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग चेयरमैन पवन खेड़ा ने गुरुवार को चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी की वोटर लिस्ट की मांग की है।

खेड़ा ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली की है। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन खेड़ा ने आज प्रेस वार्ता में कहा, चुनाव आयोग के कई चेहरे है। चुनाव आयोग का नाम एक है तो वहीं चेहरे अनेक हैं।

उन्होंने कहा कि सात अगस्त को गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत की राजनीति में भूचाल आ गया।

इसके कारण ही सत्ता में बैठी सरकार घबरा रही है।

बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की नौबत आ सकती है!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अगले मंगलवार तक, चुनाव आयोग को मतदान सूची से काटे गये 65 लाख नाम छापना व हर नाम के साथ नाम काटने का कारण बताना, असम्भव काम है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

■ चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, इस काम में कम से कम पांच सप्ताह का समय लगेगा। और संवैधानिक आवश्यकता है, कि, विधानसभा चुनाव सम्पन्न करा कर, नई विधानसभा का गठन 22 नवम्बर तक हो जाना चाहिये। नहीं तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जायेगा और एक समाधान बचेगा, राष्ट्रपति शासन लगाना।

■ चुनाव आयोग के सूत्रों का यह भी कहना है कि यह काम, सूची छापना व कारण बताना, बड़ी सावधानी से करने का काम है। क्योंकि अगर जल्दबाजी व थोड़ी सी असावधानी से कुछ त्रुटि रह गई तो और नये-नये मुकदमे दायर होने की सम्भावना बनेगी तथा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता फिर कठघरे में खड़ी की जायेगी।

■ समय की घड़ी लगातार चल रही है, तथा बिहार में न्यायपालिका के आदेश, संवैधानिक समयबद्धता तथा चुनाव आयोग की प्रशासनिक क्षमता के बीच टकराहट की अजीबोगरीब स्थिति बन रही है।

नई दिल्ली, 14 अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन-ईसी) को निर्देश दिये हैं कि बिहार की मतदाता सूची से हटाये गये 65 लाख मतदाताओं का विवरण अगले मंगलवार तक प्रकाशित कर दिया जाये। सर्वोच्च अदालत के इस निर्देश से चुनाव आयोग के लिये गंभीर संकट पैदा हो गया है तथा चुनावाधीन राज्य बिहार में संवैधानिक संकट की आशंका बढ़ गई है।

ईसी के अन्दरुनी सूत्रों के अनुसार, एक सप्ताह से भी कम समय में इतने बड़े डेटा सेट को एकत्रित करना, सत्यापित करना और सार्वजनिक रूप से जारी करना "लगभग असंभव" है। विभिन्न याचिकाओं की दो महीने की सुनवाई के बाद तय की गई समय सीमा से आयोग पर तो भारी दबाव पड़ ही गया है, केन्द्र सरकार भी असहज स्थिति में आ गई है।

ईसी के एक पूर्व शीर्षस्थ अधिकारी ने, नाम न बताने की शर्त पर, कहा कि यह निर्देश बिहार को संवैधानिक संकट की ओर धकेल सकता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव कराना अनिवार्य है, अन्यथा सरकार न होने की स्थिति (गवर्नेन्स वैक्यूम) पैदा हो सकती है। अगर मतदाता सूची समय पर तैयार नहीं होती, तो चुनाव कार्यक्रम पटरी से उतर सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची तैयार करना और उसे प्रकाशित करना एक विशाल कार्य है। इसके लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के रिकॉर्ड को क्रॉस-चेक करना, डेटा का डिजिटलीकरण करना और प्रत्येक विलोपन के लिए स्पष्टीकरण देना जरूरी होगा।

एक पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, "अगर पूरी मशीनरी भी लगा दी जाए, तब भी इस कार्य के लिये न्यूनतम पांच सप्ताह से दो महीने तक का समय चाहिये। इसे कुछ ही दिनों में करना न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि तकनीकी रूप से असंभव भी है।"

ईसी को यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि डेटा सटीक और कानूनी रूप से सही हो, क्योंकि किसी भी गलती से आगे और मुकदमेबाजी हो सकती है। हर एक हटाए गए नाम के लिए कारण बताना-जैसे मृत्यु, पता परिवर्तन, नाम की पुनरावृत्ति या अन्य-इस कार्य को और ज्यादा जटिल बनाता है।

बिहार में दांव बहुत ऊंचे हैं, जहां इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि मतदाता सूची समय पर तैयार नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में देरी कर सकता है।

एक वरिष्ठ चुनावी कानून विशेषज्ञ ने कहा, "अगर अंतिम मतदाता सूची तैयार नहीं होती, तो चुनाव प्रक्रिया अधिसूचित नहीं की जा सकती। इसका अर्थ है कि विधानसभा 22 नवंबर तक गठित नहीं हो सकेगी, जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा।"

ऐसी स्थिति में, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उस समय तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जब तक कि चुनाव संपन्न न हो जाएं। पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति होगी, जो सीधे न्यायिक आदेश से उत्पन्न हो सकती है।

केन्द्र सरकार, भले ही मतदाता सूची की तैयारी के लिए सीधे जिम्मेदार न हो, लेकिन अगर बिहार में चुनाव टलते हैं तो उसे इस स्थिति के राजनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन की ओर उठाया जाने वाला कोई भी कदम राज्य की तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए एक विवादास्पद मुद्दा बन सकता है।

फिलहाल, सभी की निगाहें चुनाव आयोग के अगले कदमों पर हैं-क्या वह सुप्रीम कोर्ट से समय वृद्धि की मांग करेगा? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग के पास और अधिक समय मांगने के अलावा संभवत: अन्य कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि जल्दबाज़ी में विवरण सहित सूची तैयार करने में ऐसी गलतियाँ हो सकती है जो चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास डगमगाने का खतरा पैदा कर सकती हैं।

समय की रफ्तार के साथ यह स्थिति एक विरल टकराव का रूप ले रही है-जहां न्यायिक आदेश, संवैधानिक समयसीमाएं और देश की चुनावी मशीनरी की प्रशासनिक सीमाएं आमने-सामने हैं।

रिश्वत प्रकरण में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ वि.सभा में सवालों को वापस लेने के बदले रिश्वत के मामले में विधायक सहित 4 आरोपी करीब साढ़े 3 माह से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं।

जमानत याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा और अधिवक्ता कपिल गुप्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता करीब साढ़े तीन माह से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण में एसीबी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र भी पेश कर दिया है। किन्तु अभी तक मुकदमा चलाने के लिए विधानसभा स्पीकर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में उन्हें अनावश्यक रुप से जेल में रखने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी विधायक पर विधानसभा में पूछे गए सवाल को वापस लेने के बदले रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इस तरह का अपराध किया है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कटाक्ष भी किया, कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 65 लाख नाम जो काटे गये हैं, उनमें 22 लाख वे लोग हैं, जो मर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये सभी व्यक्ति वाकई में मर चुके हैं, तो यह तथ्य बूथ स्तर की जानकारी में भी परिलक्षित क्यों नहीं हुआ।

दिख रहा है।

कांग्रेस ने इस आधार पर आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी कर रही है। कांग्रेस ने पूछा कई चुनाव क्षेत्रों में वोट चोरी हुई है तो क्या 2024 का जनादेश बदला जाएगा?

आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मुश्किल में डाल दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से कहा कि बिहार में हटाए गए 65 लाख वोटरों की पूरी सूची, नाम हटाने के कारणों के साथ, मंगलवार तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। अदालत ने यह भी कहा कि इस सूची को सार्वजनिक किया जाए, ताकि हर वोटर इसे देख सके।

एक अहम फैसले में, अदालत ने कहा कि जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, वे अपने आधार कार्ड की कॉपी के साथ दावा पेश कर सकते हैं। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि याचिकाओं में आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं करने का मुद्दा उठाया गया था, तथा कहा गया था कि इससे अनेकानेक वोटर प्रभावित होंगे।

बिहार में होने वाले चुनावों को से सम्बन्धित स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग के मुताबिक, सूची से हटाये गये 65 लाख में से 22 लाख लोग मर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया- "अगर 22 लाख लोग मर चुके हैं, तो यह बूथ स्तर पर क्यों नहीं बताया गया? हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर हों।"

अपने आदेश में बैंच ने कहा- "हमने चुनाव आयोग की संक्षिप्त सुनवाई की। सुनवाई के दौरान निम्न कदम उठाने पर सहमति बनी: अंतरिम व्यवस्था के तहत, ईसी ये कदम उठायेगा: 2025 की सूची में जिन 65 लाख वोटरों के नाम थे लेकिन मसौदा सूची में नहीं हैं, उनकी सूची ज़िला स्तर की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।"

आदेश के मुताबिक, इस सूची में नाम हटाने का कारण भी लिखा होगा। "स्थानीय भाषा के सबसे अधिक प्रसार वाले अखबारों में इसका व्यापक प्रचार होगा और इसे दूरदर्शन व अन्य चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यदि जिला निर्वाचन अधिकारी का सोशल मीडिया अकाउंट है, तो वहां भी नोटिस डाला जाएगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने निर्देश पढ़कर सुनाया, "पीड़ित लोग अपने आधार कार्ड की कॉपी के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, 65 लाख वोटरों की बूथ-वार सूची सभी पंचायत भवनों, ब्लॉक विकास कार्यालयों और पंचायत कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी, ताकि लोग इसे व्यक्तिश: देख सकें।

यह फैसला बिहार के वोटरों के लिए बड़ी राहत है और बिहार में धांधली रोकने के लिए राहुल गांधी व विपक्ष की कड़ी लड़ाई का नतीजा है।

दिल्ली एनसीआर में रैड अलर्ट

नयी दिल्ली, 14 अगस्त। मौसम विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए रेड अलर्ट और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में 14 अगस्त से 17 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले तीन दिनों के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ , दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश होगी।

इस बीच उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर समेत, कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है।

किश्तवाड़ में बादल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के पहाड़ 1,818 मीटर से लेकर 3,888 मीटर तक ऊंचे हैं। इतनी ऊंचाई पर ग्लेशियर (बर्फ की चादर) और ढ लानें हैं, जो पानी के बहाव को तेज करती हैं।

मचैल माता तीर्थयात्रा हर साल अगस्त में होती है। इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह यात्रा 25 जुलाई से 5 सितंबर तक चलेगी। यह रूट जम्मू से किश्तवाड़ तक 210 किमी लंबा है और इसमें पद्दर से चशोटी तक 19.5 किमी की सड़क पर गाड़ियां जा सकती हैं। उसके बाद 8.5 किमी की पैदल यात्रा होती है।

सेना के जम्मू स्थित जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने गुरुवार को बताया कि चिसोटी गांव में बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र में सेना राहत और बचाव में जुटी है। प्रभावित लोगों को राहत सामग्री, चिकित्सा दल और बचाव उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ।

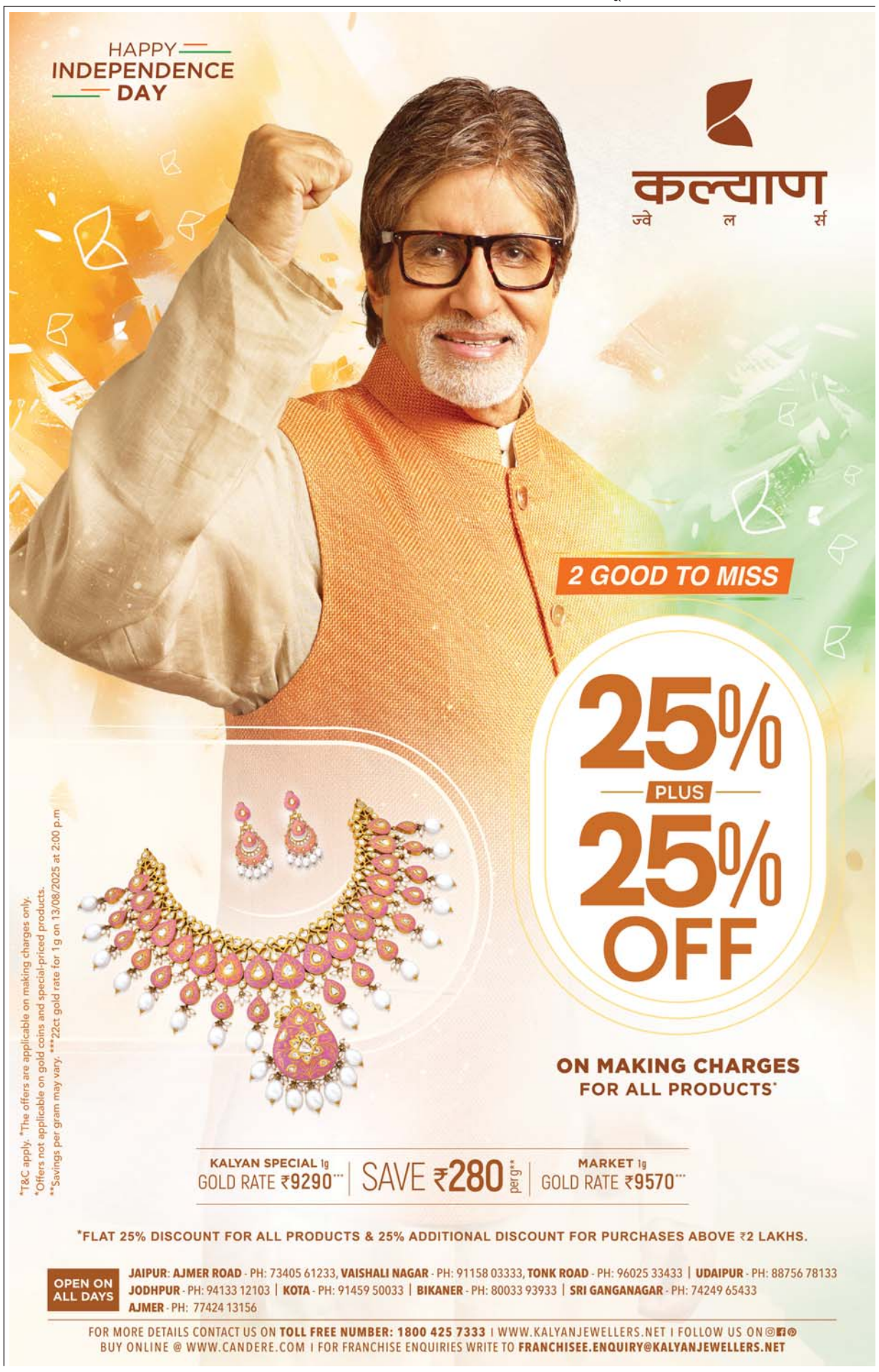

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908